

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 799 / 2014 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

बनाम

मैसर्स मगदास पुत्र पीरमदास
वाहन संख्या आर जे 19जी बी 9687

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या 803 / 2014 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

बनाम

मैसर्स पी.आर स्टील यार्ड
सांगरिया बाई पास, जोधपुर

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री जमील जई
राजकीय उप अभिभाषक
श्री आर.आ.सिंघवी
अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 11.08.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 12 व 30/आरवैट/जेयूबी/13-14 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 08.11.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के अन्तर्गत वर्ष 13-14 के लिए पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 26.07.2013 के द्वारा आरोपित शास्ति रु. 30,243/- एवं 30,243/- को अपास्त किया। चूंकि दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.07.2013 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जोधपुर शहर के शास्त्री नगर में लोडिंग टैक्सी संख्या आर.जे.19 जी.बी. 9687 की जांच की गई। वक्त चेकिंग टैक्सी में कांटेदार तार पाये गये, जिसके साथ



वाली फर्म का नाम श्याम हार्डवेयर दिनांक 18.07.2013, माल का वजन तार (12X12) 5013 1880/8/4दर 53/50 कुल मूल्य रु. 1,00,623/-लोडिंग चार्ज 177/- कुल बाकी रु. 100800/-अंकित पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक एवं माल प्रभारी से पूछने पर उसने अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (5) के अन्तर्गत माल को डिटेन किया जाकर अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर में बताया गया कि ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान ही जांच अधिकारी के समक्ष एक घण्टे बाद ही बिल पेश कर दिया गया था। उनका कथन है कि यदि माल की चेकिंग नहीं की जाती, तो करापंचन किया जाना अवश्यम्भावी था और बाद में बिल पेश करना बाद की सोची हुई युक्ति है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी)के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रु. 40,243/-आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है।

उनका कथन है कि बिना बिल के माल परिवहन करने के कारण वाहन चालक एवं माल प्रभारी को अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2013 को दिनांक 24.07.2013 की पेशी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि व वाहन चालक ने दिनांक 25.07.2013 को जवाब प्रस्तुत कर बताया कि बिल वाहन चेकिंग के कुछ देर बाद प्रस्तुत कर दिया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए वाहन चालक व माल प्रभारी मगदास को करापंचन का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत शास्ति रु. 30,243/-आरोपित की है,जो भी पूर्णतः विधिक है।

उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकार से अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76(9) के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है,जो विधि विरुद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2013 को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि बिल संख्या 456 दिनांक 18.07.2013 के जरिए मैसर्स श्याम हार्डवेयर, जोधपुर को कांटेदार तारों का विक्रय किया गया था जिसमें लोडिंग टैक्सी आर.जे.19जीबी 9687 में भरकर टैक्सी के ड्राइवर मगदास द्वारा सांगरिया धर्मकांटा पर वजन करवाकर क्रेता को डिलीवरी किया



जाना था। उनका कथन है कि माल का वजन करवाने जा रहे वाहन को उसी बीच जांच अधिकारी द्वारा शास्त्री सर्किल पर दिन में 11.30 बजे जांच की गई और जांच के दौरान वाहन चालक के पास उपलब्ध पर्ची थी उसको वाहन चालक ने जांच अधिकारी के समक्ष पेश कर दी, जिसमें माल से सम्बन्धित विवरण दर्ज था। उनका कथन है कि माल का वजन होने के पश्चात अर्थात् धर्मकांटी की पर्ची के अनुसार विक्रय बिल तैयार किया जाना था और धर्मकांटा की पर्ची प्राप्त होने के तुरन्त बाद बिल संख्या 456 दिनांक 18.07.2013 को जांच अधिकारी के समक्ष जांच के वक्त पेश कर दिया गया था। उनका कथन है कि स्थानीय परिवहन में माल की चेकिंग पर माल का बिल जांच स्थल पर ही प्रस्तुत कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आकर्षित नहीं होती है। इसके समर्थन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया कि अधिनियम की धारा 76 (2) के उल्लंघन का वाद ही अविधिक है एवं माल मालिक मैसर्स पी.आर.स्टील के विरुद्ध ही चूँकि अधिनियम की धारा 76 (6) का उल्लंघन नहीं होने एवं अधिनियम की धारा 76 (6) की शास्ति अविधिक होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत आरोपित किया जाना विधि विरुद्ध है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत शास्ति उसी स्थिति में आरोपित किया जा सकती है जब वाहन चालक द्वारा माल के सम्बन्ध कोई घोषणा नहीं करे अथवा मिथ्या घोषणा की जावे। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में सम्पूर्ण घोषणा की गयी थी एवं जांच के दौरान भी माल के परिवहन की चालान मय पर्ची एवं माल का बिल भी प्रस्तुत कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में वाहन चालक पर शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक होने के साथ ही अवैधानिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अनुचित बताया है।

इसके अतिरिक्त उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (9) के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता दृष्टिगत नहीं होती है, अतः कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उपरोक्त प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।



उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन ओदशों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग वाहन को चेक करने पर वाहन चालक द्वारा एक पर्ची पेश की गई है, जिसमें माल का विवरण अंकित था। वक्त चेकिंग वाहन में लदा माल धर्मकांटा पर तुलवाने के ले जाया जा रहा था, उसी दौरान माल को चेक किया गया है, जिसमें सम्बन्ध में वाहन चालक ने कर निर्धारण अधिकारी को अवगत कराया गया था। माल का बिल माल तुलवाने पश्चात बनाया जाना था इसलिए वाहन चालक को एक पर्ची दी गई जिस पर माल का विवरण अंकित था। माल का क्रय विक्रय स्थानीय था और स्थानीय ही परिवहन किया जा रहा था। परिवहनित माल के सम्बन्ध में वक्त चेकिंग ही बिल पेश कर दिया गया था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) का उल्लंघन मानकर कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) एवं वाहन चालक की करवंचना में लिप्तता के कारण अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत शास्तियों आरोपित की हैं।

प्रकरण के सम्बन्ध में रिकार्ड अवलोकन पर ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग वाहन चालक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को बताया गया कि उसके पास माल के सम्बन्ध में एक पर्ची है और माल धर्मकांटा पर तुलवाने के लिए जा रहा है। स्थानीय गमनागमन में किसी बिल्टी की आवश्यकता नहीं होती है एवं माल की जांच पर मौके पर दस्तावेज या तुरन्त बाद युक्तियुक्त कारण सहित पेश कर देने की स्थिति में अधिनियम की धारा 76 (2) का कोई उल्लंघन नहीं होता है, और यदि इसे उल्लंघन माना जाए तो ऐसी स्थिति में जांच के पश्चात बिल प्रस्तुत किये जाने का अवार दिए जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा एवं न ही सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई औचित्य रहेगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी प्रकार का सन्देह था और स्थानीय ट्राजक्शन था तो उनका दायित्व था कि वाहन रोकते हुए प्रेषक एवं प्रेषिति से जांच करते कि वास्तव में माल घोषित फर्मों द्वारा ही क्रय विक्रय किया गया था या नहीं और यदि मिथ्या पाया जाता है उस स्थिति में कार्यवाही करते। हस्तगत प्रकरण में जांच के दौरान ही कुछ समय पश्चात बिल को प्रस्तुत किया जाना गलत माना गया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 76 (2) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करते हुए शास्ति अपास्त की है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रकरण के तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि वाहन चालक द्वारा जांच के समय प्रेषक की ओर से दिए गए दस्तावेज (पर्ची) जिसमें पाने वाली फर्म का नाम प्रविष्टि था




एवं माल का वजन एवं मूल्य अंकित था, प्रस्तुत कर दिए गए थे ऐसी स्थिति में वाहन चालक द्वारा स्थानीय डिलीवरी में अधिनियम की धारा 76 (2) का उल्लंघन किये जाने के आरोप विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति विधिक नहीं है।

अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) के उल्लंघन नहीं होने के सम्बन्ध में आदेश में निम्न निष्कर्ष दिया है :-

“इस तरह इस प्रकरण में माल की स्थानीय डिलीवरी की पर्ची एवं सही घोषणा के बाद दौराने जांचबिल बनाने में कांटापर्ची के इंतजार का युक्तियुक्त कारण बताते हुए बिल एवं कांटापर्ची पेश कर दिए थे। इस तरह सुनवाई के अवसर के पूर्व ही पूर्ण दस्तावेज पेश होने एवं किसी तरह की मिथ्या घोषणा नहीं होने से एंबिल का फर्जी या बोगस नहीं होने से धारा 76 (2) की अवहेलना कारित नहीं हुई है...।”

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य